



Latest Laws.com

Helping Good People Do Good Things

Bare Acts & Rules

Free Downloadable Formats

Hello Good People !



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ, 1923 शकाब्द

संख्या 106

रांची, शुक्रवार 25 मई, 2001

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

25 मई, 2001

संख्या-एल० जी०-01/2000 लेज : 09—झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 10 अप्रैल, 2001 को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

संयुक्त सचिव,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, रांची।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

[झारखण्ड अधिनियम 09, 2001]

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा झारखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य के अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना :—चूंकि, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत अलग झारखण्ड राज्य का गठन किया गया है।

और, चूंकि, यह आवश्यक है कि झारखण्ड राज्य में एक आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की जाए और उक्त निधि को झारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जाए, राज्य विधायिका द्वारा विधिवत् विनियोग प्राधिकृत होने तक, राज्य में होने वाले अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल द्वारा उक्त निधि से अग्रिम प्राधिकृत किया जा सकेगा,

और, चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड-2 के द्वारा राज्य की विधायिका को विधिवत् इस प्रकार की निधि के गठन की शक्ति प्रदान की गई है,

और, चूँकि, सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भारखण्ड आकस्मिकता निधि का गठन जनहित में आवश्यक है,

और, चूँकि, भारखण्ड के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण भारखण्ड आकस्मिकता निधि का गठन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

इसलिए भारत गणराज्य के बाबनवें वर्ष में भारखण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

-: परिच्छेद :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह अधिनियम भारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. निर्वाचन-प्रवृत्त तक कि सदस्यों में अन्यथा अपेक्षित न हो

इस अधिनियम में निधि से तात्पर्य है धारा-3 के द्वारा स्थापित भारखण्ड आकस्मिकता निधि,

इस अधिनियम में 'राज्य सरकार' से तात्पर्य है, 'भारखण्ड राज्य सरकार'।

परिच्छेद-II

3. भारखण्ड आकस्मिकता निधि की स्थापना :

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार भारखण्ड राज्य के लिए 'भारखण्ड आकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना करेगी जो भारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जायेगा।

4. राज्य की संचित निधि से 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) का रकम की निकासी एवं भारखण्ड आकस्मिकता निधि में उसका जमा किया जाना -

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार भारखण्ड राज्य की संचित निधि से एक सौ पचास करोड़ रुपये की रकम का निकासी करेगी और इसे निधि में जमा कर देगी।

5. नियम बनाने की शक्तियाँ :—भारखण्ड राज्य सरकार विधि के अन्तर्गत भारखण्ड आकस्मिकता निधि नियमावली बना सकेगी।

6. निरसन एवं व्यावृत्ति—(1) भारखण्ड आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000 (भारखण्ड अध्यादेश संख्या 1,2000) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया था, की गई समझी जायगी, मानो यह अधिनियम इस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

भारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।